

अध्याय-॥
राज्य के वित्त

अध्याय - II

राज्य के वित्त

2.1 वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: प्रमुख राजकोषीय योगों में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य की स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 7.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 5.10 प्रतिशत की गिरावट हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> राजस्व व्यय में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 27.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 25.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई सहायता-अनुदान व अंशदान पर व्यय में 21.01 प्रतिशत की गिरावट हुई
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ऋण पूंजीगत प्राप्तियों* में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों में 99.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> पूंजीगत व्यय में 0.01 प्रतिशत की गिरावट हुई सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 23.68 प्रतिशत की गिरावट हुई सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 70.75 प्रतिशत की गिरावट हुई ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 103.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> लोक ऋण प्राप्तियों* में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण चुकौती में 131.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> लोक लेखा प्राप्तियों में 32.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरण में 33.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> नकद शेष में 40.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों की विगत वर्ष के साथ तुलना तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: 2021-22 व 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)


	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	1,756.24	2,522.86	766.62
	राजस्व प्राप्तियां	37,309.30	38,089.50	780.20
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	12.59	5.58
	ऋण व अग्रिम की वसूली	40.72	82.79	42.07
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	4,947.69*	12,236.02	7,288.33
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,063.79	1,176.99	113.20
	योग*	45,124.75*	54,120.75	8,996.00
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	36,194.54	44,425.26	8,230.72
	पूंजीगत व्यय	6,029.38	6,028.89	-0.49
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	377.97	110.57	-267.40
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	2,522.86	3,556.03	1,033.17
	योग	45,124.75	54,120.75	8,996.00

स्रोत: वित्त लेखे

* वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

परिशिष्ट 2.1 वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष के दौरान प्राप्ति व संवितरण एवं राज्य की समग्र राजकोषीय प्रास्थिति का विवरण प्रदान करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संघटन एवं अनुप्रयोग चार्ट 2.1 एवं 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व सहित संघीय करो व शुल्कों का अंश) कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां) में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य की समेकित निधि का भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होती।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां


यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई है जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के ₹ 61,733.69 करोड़ के कुल संसाधनों में से राजस्व प्राप्तियां (₹ 38,089.50 करोड़) 61.70 प्रतिशत थी। पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 22,467.20 करोड़) एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,176.99 करोड़) कुल संसाधनों का क्रमशः 36.39 प्रतिशत व 1.91 प्रतिशत रही।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि

पांच वर्ष की अवधि (2018-23) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि तालिका 2.3 में दर्शाई गई है। इसी अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां व संघटन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	-0.67	8.77	11.58	2.09
कर राजस्व (i+ii)	13,002.58	12,301.38	12,837.24	17,063.62	18,479.24
(i) स्व-कर राजस्व	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26
स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.54	0.67	6.03	20.18	9.07
(ii) संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98
संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	7.28
कर-भिन्न राजस्व	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.72	-11.61	-12.51	19.37	10.10
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.45	5.44	15.52	-4.23	-5.10
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	10,402.88	10,125.33	10,271.78	12,326.94	13,471.59
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	9.83	-2.67	1.44	20.01	9.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.86	19.31	21.54	21.17	19.49
उत्प्लावकता अनुपात[#]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.85	--*	--*	0.86	0.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-कर उत्प्लावकता	1.37	--*	--*	1.48	0.86

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान

उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाता है।

* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।

तालिका 2.3 निम्नवत दर्शाती है :


- राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 के ₹ 30,950.32 करोड़ से 23.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 38,089.50 करोड़ हो गईं, हालांकि यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान मात्र ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) रही। वर्ष 2018-23 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसमें 6.97 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई।

- वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्व-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः ₹ 880.68 करोड़ (9.07 प्रतिशत) व ₹ 263.97 करोड़ (10.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2018-19 के 1.84 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 0.19 प्रतिशत हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता भी वर्ष 2018-19 के 1.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 0.86 प्रतिशत हो गई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता में हुई अचानक गिरावट का कारण मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर), विद्युत पर कर व शुल्क एवं माल व यात्री कर (स्व-कर राजस्व के तहत) व ब्याज प्राप्तियों, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति, वानिकी व वन्य जीव (कर-भिन्न राजस्व के तहत), इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियां घटना रहा। राज्य के स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व व कर-भिन्न राजस्व) की प्रवृत्ति पर क्रमशः **परिच्छेद 2.3.2.2 (i) व (ii)** में चर्चा की गई है।
- वही दूसरी ओर वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2020-21 के बाद से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। यह गिरावट क्रमशः वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) एवं ₹ 899.39 करोड़ (5.10 प्रतिशत) रही। विगत वर्ष की तुलना में इन अवधियों के दौरान हुई गिरावट मुख्य रूप से वित्त आयोग अनुदान के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी, जैसाकि **परिच्छेद 2.3.2.3 (ii)** में चर्चा की गई है।

स्व-राजस्व उत्प्लावकता की तुलना में सहायता-अनुदान में बढ़ती प्रवृत्ति अधिक निर्भरता को परिलक्षित करती है, जबकि घटती प्रवृत्ति भारत सरकार की सहायता पर कम निर्भरता को परिलक्षित करती है। सतत राजकोषीय स्थिरता एवं विकास हेतु राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार का सुदृढीकरण आवश्यक है।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति चार्ट 2.5 में दर्शाई गई है:


चार्ट 2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्त्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति




2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल व यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है।

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं इसके घटकों का विश्लेषण क्रमशः चार्ट 2.7 व तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2018-23 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति



स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य वस्तु व सेवा कर	3,342.68	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर)	1,185.43	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29
राज्य आबकारी	1,481.63	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34
वाहन कर	408.01	465.52	380.20	510.03	675.17
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	250.55	259.58	253.36	318.60	398.75
विद्युत पर कर व शुल्क	487.08	100.86	401.76	393.51	252.25
भू-राजस्व	8.39	4.79	6.95	4.81	8.22
माल व यात्री कर	104.38	104.03	83.55	99.18	68.50
अन्य कर	304.66	309.15	261.07	333.43	346.53
कुल स्व-कर राजस्व	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान कुल स्व-कर राजस्व में ₹ 880.68 करोड़ (9.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण वृद्धि राज्य वस्तु व सेवा कर (₹ 777.06 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 235.71 करोड़), वाहन कर (₹ 165.14 करोड़) एवं स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (₹ 80.15 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई। यह वृद्धि बिक्री, व्यापार आदि (मूल्य वर्धित कर) (₹ 221.94 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 141.26 करोड़) एवं माल व यात्री कर (₹ 30.68 करोड़) के तहत प्राप्तियों में कमी से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

वृद्धि के कारण -

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर- इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से कर, ब्याज, इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक प्राप्तियां, राज्य वस्तु व सेवा कर व समेकित वस्तु व सेवा कर का परस्पर उपयोग एवं विभाग द्वारा ई-चालान, ई-वे बिल, कर रिटर्न की निगरानी, क्षमता निर्माण जैसे प्रवर्तन में वृद्धि के कारण हुई ;
- राज्य आबकारी - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से शराब के कोटे एवं लाइसेंस शुल्क आदि में वृद्धि के कारण देशी स्पिरिट, विदेशी शराब व स्पिरिट की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई ;
- वाहन कर - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों का पंजीकरण, वाहनों के चालान के कारण शमन शुल्क, करों पर उपकर आदि के कारण हुई ;
- स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से स्टाम्पों की बिक्री, दस्तावेजों को पंजीकृत करने की फीस, स्टाम्प/स्टाम्प शुल्क आदि से प्राप्त न्यायालय शुल्क आदि के कारण हुई।

जबकि गिरावट के कारण -

- पेट्रोल व डीजल पर मूल्य वर्धित कर के तहत कम प्राप्तियों के कारण बिक्री, व्यापार आदि में गिरावट हुई ;
- विद्युत पर कर व शुल्क - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः विद्युत की खपत एवं बिक्री करों से कम प्राप्ति के कारण थी;
- माल एवं यात्रियों कर में गिरावट का मुख्य कारण माल और यात्रियों से कर का कम संग्रहण रहा।

(क) राज्य वस्तु व सेवा कर

वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 5,129.79 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष राज्य वस्तु व सेवा कर राशि ₹ 5,259.21 करोड़ रही।

(ख) वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

22 जून 2020 को वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) परिक्षेत्र में पैन-इंडिया डेटा तक अभिगम (एक्सेस) प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में दिसंबर 2020 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को बैंक-एंड एप्लिकेशन तक अभिगम (एक्सेस) दिया गया। हालांकि इस कार्यालय को दिया गया एक्सेस सीमित तथा विभाग के आंतरिक वेब आधारित जीएसटीएन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए वीपीएन कनेक्शन पर आधारित था क्योंकि यह केवल हिमाचल के राज्य व्यापी क्षेत्रफल नेटवर्क, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। जीएसटीएन पोर्टल तक रिमोट एक्सेस का उपयोग वास्तुव सेवा कर के अंतर्गत निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति निर्धारण बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व बकाया

31 मार्च 2023 तक राजस्व के प्रधान (मूल) शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 5,026.98 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,993.32 करोड़ (59.55 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	006- वस्तु एवं सेवा कर	425.46	0.00
2.	0039-राज्य आबकारी	285.52	187.74
3.	0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	4,206.64	2,742.74
4.	0042-यात्री व माल कर	13.72	6.59
5.	0045-अन्य कर व शुल्क	95.64	56.25
	योग	5,026.98	2,993.32

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

निर्धारण में बकाया

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण हेतु लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले एवं वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी तालिका 2.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.6: निर्धारण में बकाया

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2022-23 के दौरान निर्धारण के नए मामले	देय कुल निर्धारण	2022-23 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	निपटान का प्रतिशत	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	41,880	5,653	47,533	26,656	20,877	18,044	56
		मूल्य वर्धित कर	48,979	7,560	56,539	32,888	23,651	20,042	58
3.	मोटर स्पिरिट टैक्स	94	36	130	80	50	0	62	
4.	वाहन कर	3,099	2,875	5,974	3,814	2,160	1,848	64	
5.	विलासिता कर	2,077	12	2,089	852	1,237	896	41	
	योग	96,129	16,136	1,12,265	64,290	47,975	40,830	57	

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

वर्ष 2022-23 के अंत में कर निर्धारण बकाया के लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2021-22 के 96,129 मामलों से 50 प्रतिशत घटकर 47,975 मामले हो गई। वर्ष 2022-23 में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निपटान की दरें 41 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य थी।

(घ) विभाग द्वारा पाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामले, इत्यादि का विवरण

पाए गए कर अपवंचन के मामले, अतिमिक्त मामले एवं अतिरिक्त कर की उठाई गई मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के मामलों के विवरण, अंतिमिकृत मामलों एवं एवं उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग; तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण क्रमशः तालिका 2.7 व तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: पाए गए कर अपवंचन मामले

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	298	4,835	5,133	4,677	244.32	456
2.	राज्य आबकारी	98	1,130	1,228	1,145	1.86	83
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	64	326	390	338	12.58	52
4.	यात्री व माल कर	13	2,302	2,315	2,302	3.79	13
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	38	1,133	1,171	1,134	5.21	37
योग		511	9,726	10,237	9,596	267.76	641

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

तालिका 2.8: प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वस्तु व सेवा कर		बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	212	15.69	63	19.20	16	0.23
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,319	127.24	126	13.61	42	2.38
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	1,036	98.00	135	24.77	47	2.44
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	256	27.33	2	0.04	1	0.003
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	239	17.60	52	8.00	10	0.16

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

(ii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियां तालिका 2.9 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज प्राप्तियां	385.88	245.36	306.43	173.95	85.30
लाभांश व लाभ	181.92	248.44	245.43	166.53	180.90
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,262.27	2,007.72	1,636.60	2,271.88	2,610.13

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विविध सामान्य सेवाएं	20.76	5.17	11.41	14.06	7.45
शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति	214.59	238.59	196.08	257.70	161.78
वानिकी एवं वन्य जीवन	76.32	83.61	49.56	106.28	81.79
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.34	49.65	37.05	104.90	90.05
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	221.05	246.30	252.16	230.81	286.34
विद्युत	1,134.34	1,021.68	749.12	1,183.51	1,428.28
अन्य या विविध	543.87	362.72	341.22	374.62	554.44
कुल कर-भिन्न राजस्व	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	9.14	8.14	6.54	7.00	7.55

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल कर-भिन्न राजस्व में ₹ 263.97 करोड़ (10.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 244.77 करोड़), अन्य या विविध (₹ 179.82 करोड़), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 55.53 करोड़), लाभांश व लाभ (₹ 14.37 करोड़), आदि के तहत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 95.92 करोड़), ब्याज प्राप्तियों (₹ 88.65 करोड़) एवं वानिकी व वन्यजीवन (₹ 24.49 करोड़) आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई गिरावट से समायोजित हो गई।

इनके अंतर्गत हुई वृद्धि -

- विद्युत - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सतलुज जल विद्युत निगम सीमित के अतिरिक्त) से प्राप्तियां एवं अग्रिम प्रीमियम के कारण हुई;
- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः खनिज रियायत शुल्क, किराया व रॉयल्टी, अन्य विविध प्राप्तियों के तहत अधिक प्राप्तियां होने के कारण हुई;
- लाभांश एवं लाभ - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः सामान्य उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों से विगत वर्ष की तुलना में अधिक लाभांश प्राप्त होने के कारण हुई।


जबकि इनके अंतर्गत हुई गिरावट -

- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के वेतन की प्रतिपूर्ति न होने एवं विविध शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण हुई;
- ब्याज प्राप्तियां - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों से अर्जित ब्याज की कम प्राप्ति एवं नकदी शेष का निवेश न होने के कारण ब्याज की कम वसूली के कारण हुई; तथा
- वानिकी एवं वन्यजीव - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज तथा सामाजिक एवं कृषि वानिकी आदि से कम प्राप्ति के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केंद्र से किए जाने वाले अंतरणों में मुख्यतः वित्तायोग की अनुशंसानुसार कर हस्तांतरण, वित्तायोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश, इत्यादि शामिल हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट 2.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे

केन्द्रीय कर अंतरण अर्थात् संघीय करों व शुल्कों के अंश एवं राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रवृत्ति पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) केन्द्रीय करों का अंश

वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग व पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में राज्य सरकार को वास्तव में जारी संघीय करों व शुल्कों के अंश को तालिका 2.10 में तालिकाबद्ध किया गया है। 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2020-23) के दौरान वास्तविक कर अंतरण प्राक्कलनों से काफी अधिक था (वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त) क्योंकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय की गणना में सेवा कर को भी शामिल किया गया था।

तालिका 2.10: संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश: वित्त आयोग प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की संस्तुति में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर	4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18	की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	की अनुशंसानुसार)	5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की संस्तुति में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,524.16	7,349.04	1,824.88
2022-23	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,778.19	7,883.98	1,105.79

स्त्रोत: 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरणी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-26) की अवधि के पहले तीन वर्षों (2020-23) के दौरान संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश ₹ 19,986.94 करोड़ था जो चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) के कुल अंशदान (₹ 22,863.51 करोड़) का 87.42 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य को प्राप्त केंद्रीय कर अंतरण के संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.11 में दी गई है:

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केंद्रीय कर अंतरण के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केंद्रीय वस्तु व सेवा कर	1,340.15	1,327.34	1,419.55	2,105.41	2,227.15	121.74
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
निगम कर	1,888.31	1,594.86	1,429.44	2,202.48	2,644.66	442.18
निगम कर के अतिरिक्त आय कर	1,390.66	1,249.68	1,464.84	2,169.83	2,579.80	409.97
सीमा शुल्क	384.89	296.49	257.07	510.58	309.82	-200.76
संघ आबकारी शुल्क	255.78	206.16	160.44	265.82	97.22	-168.60
सेवा कर	49.66	--	19.39	87.35	12.36	-74.99
अन्य कर ¹	13.32	3.03	3.19	7.57	12.97	5.40
केंद्रीय कर अंतरण	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	534.94
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	7.28	--
राजस्व प्राप्तियों से केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	17.54	15.22	14.22	19.70	20.70	--

स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.11 दर्शाती है कि विगत पांच वर्ष की अवधि (2018-23) के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (-) 13.85 व 54.59 प्रतिशत के मध्य था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें केवल ₹ 534.94 करोड़ (7.28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश 14 प्रतिशत से 21 प्रतिशत रहा।

¹ इसमें सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित है।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	4,010.49	4,915.06	4,221.29	5,420.75	4,736.66
वित्तायोग अनुदान*	8,831.25	8,617.82	12,424.10	11,044.26	10,489.70
विधानमंडल वाले राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,275.93	2,406.64	1,767.19	1,168.31	1,507.57@
योग	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/गिरावट	15.45	5.44	15.52	-4.23	-5.10
राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का प्रतिशत	48.84	51.85	55.06	47.26	43.93

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 9,377 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 727.50 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 342.40 करोड़); राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु सहायता अनुदान (₹ 42.80 करोड़) शामिल हैं।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1,293.27 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 2.12 दर्शाती है कि विगत वर्षों तुलना में वर्ष 2021-22 (4.23 प्रतिशत) व 2022-23 (5.10 प्रतिशत) के दौरान भारत सरकार के सहायता अनुदान में लगातार कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में हुई गिरावट मुख्यतः हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत ₹ 872 करोड़ (8.51 प्रतिशत) व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/अंशदान के अंतर्गत ₹ 702.07 करोड़ (19.19 प्रतिशत) की उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई।

(क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दिए गए ₹ 4,736.66 करोड़ के अनुदान में से बड़ी राशि निम्न योजनाओं हेतु दी गई:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ₹ 624.76 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 107.31 करोड़ (20.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- समग्र शिक्षा अभियान - ₹ 551.60 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 203.37 करोड़ (58.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - ₹ 508.72 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 266.82 करोड़ (110.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(ख) एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को हर केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु एक एकल नोडल एजेंसी

नामित करना अपेक्षित है। यह एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। साथ ही प्रक्रियानुसार राज्य सरकार अपने खातों में प्राप्त केंद्रांश को संगत राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करेगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अव्ययित समस्त राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस करें।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 3,621.78 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसी को केंद्रांश के रूप में ₹ 3,294.07 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 784.16 करोड़ हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2023 तक ₹ 2,722.47 करोड़ एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में अव्ययित रखे रहे।

(ग) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटे व स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तव में जारी एवं अंतरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2022-23		
		15वें वित्तायोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी
1.	(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	329.00	329.00 [@]	329.00
	(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान (अनटाइड)	131.60	131.60	131.60
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान (टाइड)	197.40	197.40	197.40
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	162.00	159.00 ^{\$}	159.36 [*]
	(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	64.80	63.60	63.75
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	97.20	95.40	95.61
	(iii) स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान	98.00	0.00	0.00
	स्थानीय निकायों को दिए कुल अनुदान (i+ii+iii)	589.00	488.00	488.36
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	केंद्रांश	342.40	342.40
		राज्यांश	38.40	--
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए कुल	380.80	342.40	380.80
3.	हस्तांतरण-पश्चात् राज्य घाटा अनुदान	9,377	9,377	--

स्त्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

[@] वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 487.50 करोड़) इस राशि (₹ 329.00 करोड़) से भिन्न है क्योंकि 2021-22 की ₹ 158.50 करोड़ की राशि की दूसरी किस्त 2022-23 के दौरान जारी की गई थी।

^{\$} वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 240 करोड़) उस राशि (₹ 159.00 करोड़) से भिन्न है, जो 2022-23 की ₹ 81 करोड़ की दूसरी किस्त के कारण राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान प्राप्त व जारी की गई थी क्योंकि यह राशि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी की गई थी।

^{*} इसमें अनुदान जारी करने में विलम्ब के कारण अर्जित ₹ 0.36 करोड़ ब्याज शामिल है।

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 329 करोड़ की राशि के प्रति वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने सम्पूर्ण राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 162.00 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 159.00 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹159.00 करोड़ में से, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान ₹ 159.36 करोड़ (ब्याज सहित) जारी किए।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संदर्भ में 15वें वित्तायोग ने 90:10 के अनुपात में केंद्रांश व राज्यांश की अनुशंसा की। ₹ 342.40 करोड़ के अनुशंसित अंश के सम्बन्ध में वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 342.40 करोड़ एवं राज्य ने ₹ 380.80 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 342.40 करोड़ व राज्यांश ₹ 38.40 करोड़) जारी किए।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.14 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

	(₹ करोड़ में)				
राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii+iii)	1,784.70	4,169.72	3,917.07*	2,300.21*	12,331.41
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.82	2.04	2.88	7.01	12.59
(ii) ऋण व अग्रिम की वसूली	21.83	21.04	23.02	40.73	82.79
(iii) निवल लोक ऋण प्राप्तियां	1,754.05	4,146.64	3,891.17*	2,252.47*	12,236.02
- आंतरिक ऋण	1,771.71	4,164.59	3,390.44	1,457.82	11,599.12
वृद्धि दर (प्रतिशत)	-15.53	135.06	-18.59	-57.00	695.65
- भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	-17.66	-17.95	500.73*	794.65*	636.90
वृद्धि दर (प्रतिशत)	-690.64	-1.64	2,889.56	58.70	-19.85
निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (iii)	-16.49	136.40	-6.16	-42.11	443.23
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (i)+(ii)	-58.82	-24.70	12.22	84.29	99.83
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-17.94	133.64	6.06	-41.28	436.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेख।

- * वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान निवल लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 9,983.56 करोड़ (443.23 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण में ₹ 10,141.31 करोड़ (695.65 प्रतिशत) की भारी वृद्धि के कारण हुई। आंतरिक ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से भारी उधार (₹ 12,230 करोड़) लेने के कारण हुई। इन ऋण प्राप्तियों/उधारों के अनुप्रयोग पर परिच्छेद 2.7.1 में चर्चा की गई है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व-कर एवं कर-भिन्न स्रोतों सहित उसके स्वयं के संसाधनों के आधार पर किया जाता है।

पंद्रहवें वित्तायोग व मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य का वास्तविक स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: 2022-23 के दौरान प्राक्कलनों की तुलना में कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

संघटक	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
स्व कर राजस्व	11,026	10,881.39	10,595.26	-3.91	-2.63
कर-भिन्न राजस्व	4,235	2,769.41	2,876.33	-32.08	3.86

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज़

राज्य सरकार का वास्तविक स्व-कर राजस्व पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 3.91 प्रतिशत व 2.63 प्रतिशत घट गया। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां भी पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 32.08 प्रतिशत गिर गई परन्तु बजट अनुमान से 3.86 प्रतिशत अधिक रही।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया विकास के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूँजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऋण एवं अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण व अग्रिम।

समग्र व्यय एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.16 व चार्ट 2.9 में दर्शाई गई हैं।


तालिका 2.16: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	34,493.50	36,362.55	39,164.26	42,601.89	50,564.72
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
पूँजीगत व्यय	4,583.41	5,173.91	5,309.21	6,029.38	6,028.89
संवितरित ऋण व अग्रिम	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57
वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.25	22.85	25.23	24.17	25.88
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.84	19.31	21.60	20.53	22.73
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.09	3.25	3.42	3.42	3.09
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.32	0.29	0.21	0.21	0.06

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके संघटकों के अंश की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



तालिका 2.16 दर्शाती है कि कुल व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 34,493.50 करोड़ से ₹ 16,071.22 करोड़ (46.59 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 50,564.72 करोड़ हो गया, जो पांच वर्षों की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.85 प्रतिशत व 25.88 प्रतिशत के मध्य रहा। चार्ट 2.9 दर्शाता है कि राजस्व व्यय कुल व्यय का बड़ा भाग (85 से 88 प्रतिशत) था। दूसरी ओर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य था।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़ गया। यह वृद्धि राज्य में छठे वेतन आयोग के वेतन संशोधन/कार्यान्वयन के कारण वेतन, पेंशन आदि पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.1.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

वर्ष 2018-23 के दौरान व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश तालिका 2.17 व चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.17: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षित अंश

(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	11,665	12,539	13,624	14,289	18,061
सामाजिक सेवाएं	12,669	13,305	14,580	15,808	19,370
आर्थिक सेवाएं	9,681	10,050	10,631	12,119	13,017
स्थानीय निकायों को अनुदान	9.39	10.27	9.37	7.71	6.09
ऋण व अग्रिम	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57

स्रोत: वित्त लेखे


चार्ट 2.10: कुल व्यय- गतिविधियों से व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.10 दर्शाता है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय में व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्षित अंश में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं व सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2018-19 के 33.82 प्रतिशत व 36.73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में क्रमशः 35.72 प्रतिशत और 38.31 प्रतिशत हो गया जबकि जबकि इसी अवधि में आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत 28.07 प्रतिशत से घटकर 25.74 प्रतिशत हो गया। स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदानों और ऋण व अग्रिम में भी वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त घटती प्रवृत्ति देखी गई। चार्ट 2.11 कार्य के आधार पर व्यय का संघटक दर्शाता है।

चार्ट 2.11: 2022-23 के दौरान कार्यानुसार व्यय के संघटक (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका 2.18 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.18: 2018-23 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	34,493.50	36,362.55	39,164.25	42,601.89	50,564.72
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.83	4.38	9.13	7.93	22.74
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	85.35	84.51	85.63	84.96	87.86
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.84	19.31	21.60	20.53	22.73
राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	-0.67	8.77	11.58	2.09
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	95.13	99.96	100.29	97.01	116.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383.27	1,59,164.02	1,55,251.20 ^अ	1,76,269.47 ^ब	1,95,404.59 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.24	0.60	--*	0.59	2.09
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.67	--*	1.04	0.68	10.88

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ऋणात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई।


विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वर्ष 2018-23 के दौरान ₹ 14,983.15 करोड़ (50.89 प्रतिशत) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मात्र ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत (19.49 प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व व्यय के प्रतिशत (22.74 प्रतिशत) से कम रहा, जो वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 6,335.76 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हुआ जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित 0.8 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत रहा। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता, जिसमें वर्ष 2021-22 (0.68 प्रतिशत) के दौरान सुधार हुआ था, वह मुख्य रूप से वेतन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण हुई राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 (10.88 प्रतिशत) के दौरान घट गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुआ ₹ 44,425.26 करोड़ का राजस्व व्यय राज्य द्वारा उसके बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 40,278.80 करोड़) तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 32,020 करोड़) से काफी अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

2.4.1.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 36,194.54 करोड़ से ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 44,425.26 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में मुख्य लेखा शीर्षों के तहत हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.19: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,283.87	6,398.91	2,884.96
2202-सामान्य शिक्षा	8,494.47	6,592.01	1,902.47
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,534.57	1,909.17	625.40
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,168.98	792.20	376.78
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,870.56	1,505.29	365.26
2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	685.86	363.00	322.86
2055- पुलिस	1,525.46	1,208.20	317.26
2505-ग्रामीण रोजगार	643.66	381.12	262.54
2801- विद्युत	1100.20	1,645.69	-545.75

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.19 दर्शाती है :

- 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत हुई ₹ 2,884.96 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'अधिवर्षिता व सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 1,136.33 करोड़, 'ग्रेच्युटीज़' में ₹ 390.89 करोड़ एवं 'पेंशन के परिवर्तित मूल्य' में ₹ 418.61 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 344.54 करोड़, 'अवकाश नकदीकरण लाभ' में ₹ 211.14 करोड़ की वृद्धि तथा 'सीमित अंशदान हेतु सरकारी अंशदान' में ₹ 383.84 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसका कारण छठा वेतन आयोग लागू होने के कारण हुआ वेतन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन था;
- 'सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,902.47 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'माध्यमिक शिक्षा' में ₹ 852.47 करोड़, 'प्रारंभिक शिक्षा' में ₹ 887.84 करोड़ एवं 'विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा' में ₹ 138.18 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य' के तहत ₹ 625.40 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा - एलोपैथी' में ₹ 184.36 करोड़, 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान' में ₹ 168.27 करोड़, 'लोक स्वास्थ्य' में ₹ 132.03 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत ₹ 376.78 करोड़ की वृद्धि, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता मिलने के कारण ₹ 135.32 करोड़ की वृद्धि होने, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 94.73 करोड़ की वृद्धि, 'जिला परिषद को सहायता' में ₹ 53.29 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के तहत ₹ 365.26 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन' में ₹ 172.22 करोड़ की वृद्धि, 'बाल कल्याण' में ₹ 99.13 करोड़ की वृद्धि तथा 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 53.94 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो वृद्ध व्यक्तियों/विधवाओं और निराश्रित/विकलांग व्यक्तियों की पेंशन दरों में संशोधन के कारण था;

- 'प्राकृतिक आपदाओं से राहत' में ₹ 322.86 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता' में ₹ 214.26 करोड़ की एवं 'आरक्षित निधि व जमा खातों में अंतरण- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' में ₹ 17.80 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो 'मुफ्त राहत' में ₹ 94.19 करोड़ और 'शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह भुगतान' में ₹ 93.40 करोड़ देने से घटने के कारण आंशिक रूप से समायोजित हो गई;
- 'पुलिस' में ₹ 317.26 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य मुख्यालय पुलिस' में ₹ 100.42 करोड़ एवं 'जिला पुलिस' में ₹ 178.31 करोड़ की वृद्धि होने के कारण हुई;
- 'ग्रामीण रोजगार' के तहत ₹ 262.54 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में ₹ 280.23 करोड़ की वृद्धि होने के कारण हुई, जो 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' में ₹ 22.90 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से समायोजित हो गई;
- विद्युत में ₹ 545.75 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से 'सामान्य- 800-अन्य व्यय' की मंजूरी पर ₹ 1,048.98 करोड़ घटने कारण हुई, जो 'विद्युत बोर्डों को सहायता' में ₹ 318.42 करोड़ की वृद्धि, 'अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना' में ₹ 156.90 करोड़ की वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित हुई, जिसका कारण किसानों को ऋण राहत तथा विद्युत सब्सिडी में बढ़ोतरी था।

2.4.1.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी पर व्यय; तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनम्य व्यय की कुछ ऐसी मदें हैं जिन्हें आमतौर पर परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता या पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर सांविधिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन एवं भत्तों हेतु स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय हेतु हस्तांतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधियों में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित ऋणशोधन निधि, प्रत्याभूत विमोच्य निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि आदि में अंशदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति राशि।
- (iv) आरक्षित निधि/अन्य निकाय में उपकर का अंतरण, जिसकी सांविधिक आवश्यकता है।
- (v) प्राप्त केन्द्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अंशदान - राज्यांश की राशि एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।
- (vi) निवेश की जा सकने वाली सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान तथा प्रभारित व्यय- ब्याज भुगतान के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में आरोही प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम हो गया। प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	11,210.42	11,742.23	11,903.67	12,192.52	15,850.87*
पेंशन पर व्यय	4,974.77	5,489.75	6,088.39	6,398.91	9,283.87
ब्याज भुगतान	4,021.52	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64
योग	20,206.71	21,466.00	22,464.51	23,232.22	29,963.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.22	38.20	35.60	32.68	41.61
पेंशन पर व्यय	16.07	17.86	18.21	17.15	24.37
ब्याज भुगतान	12.99	13.77	13.38	12.44	12.68
योग	65.28	69.83	67.19	62.27	78.67
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.08	38.21	35.50	33.69	35.68
पेंशन पर व्यय	16.90	17.86	18.16	17.68	20.90
ब्याज भुगतान	13.66	13.78	13.34	12.82	10.87
योग	68.64	69.85	66.99	64.19	67.45
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	9,235.40	9,264.43	11,070.42	12,962.32	14,461.88
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	31.37	30.15	33.01	35.81	32.55
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	26.77	25.48	28.27	30.43	28.60
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण	694.35	882.52	1,046.42	858.21	1,223.85
आरक्षित निधि में अंशदान	27.35	28.70	45.00	35.80	38.40
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	अनुपलब्ध	116.53	105.71	132.16	174.94
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अंशदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	580.09	578.73
निवेश की जा सकने वाली सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान तथा प्रभारित व्यय-ब्याज भुगतान के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान	0.15	अनुपलब्ध	0.06	0.47	3.73
कुल अनम्य व्यय	721.85	1,027.75	1,197.19	1,606.73	2,019.65
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	2.45	3.34	3.57	4.44	4.55
सब्सिडी	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32
अप्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	13.89	11.53	11.21	9.16	13.64

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पीएफएमएस एवं राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी।


* वेतन: ₹ 15,569.01 करोड़, मजदूरी: ₹ 281.86 करोड़

तालिका 2.20 दर्शाती है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि हुई। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,731.16 करोड़ (28.97 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 64 से 70 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों में 62 से 79 प्रतिशत

के मध्य तक का बड़ा हिस्सा रहा। राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी का बड़ा हिस्सा होने से विकास गतिविधियों हेतु राज्य सरकार के पास कम लचीलापन रहता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018-23 के दौरान राजस्व व्यय में अप्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान अप्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी का अनुपात नौ प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत तक था।

चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 11,210.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 15,850.87 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 3,658.35 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 41.61 प्रतिशत व राजस्व व्यय का 35.68 प्रतिशत रहा। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यतः दिनांक 01.01.2016 से लागू छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण वेतनमान, पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं बकाया संशोधित होने के कारण हुई। वेतन पर व्यय (₹ 15,569.01 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 13,297.03 करोड़) में बनाए गए प्राक्कलनों से काफी अधिक रहा।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2018-19 के ₹ 4,021.52 करोड़ से 20.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 4,828.64 करोड़ हो गया एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹ 187.85 करोड़ (4.05 प्रतिशत) रहा। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 12.68 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय का 10.87 प्रतिशत व्यय हुआ। ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक बाजार ऋण (₹ 2,671.46 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 1,216.40 करोड़) पर ब्याज बने रहे। यद्यपि ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,104.64 करोड़) के भीतर रहा।

पेंशन

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 4,974.77 करोड़ से 86.62 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,283.87 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष (₹ 6,398.91 करोड़) की तुलना में ₹ 2,884.96 करोड़ (45.09 प्रतिशत) (₹ 9,283.87 करोड़) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं पेंशन भुगतान दोनों राजस्व व्यय का 56.58 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान 2021-22 की तुलना में सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹4,662.02 करोड़) में ₹ 1,136.33 करोड़ की वृद्धि, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,216.93 करोड़) में ₹ 344.54 करोड़ की वृद्धि तथा पेंशन के परिवर्तित मूल्य (₹ 687.87 करोड़) में ₹ 418.61 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 9,283.87 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलित व्यय (₹ 7,790.20 करोड़) से काफी अधिक रहा।

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वित्त लेखा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ₹ 1,782.50 करोड़ का कुल अंशदान हुआ (कर्मचारी अंशदान ₹ 741.59 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 1,040.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.03 करोड़)। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सीमित अंशदान पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष-8342-117 (₹ 1,040.88 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकारी अंशदान मुख्य शीर्ष-2071-01-117 (₹ 1,033.23 करोड़) के तहत दर्शाई गई राशि से भिन्न है, जो न्यायालयीन मामलों के कारण कर्मचारी कार्य प्रभार (ईडब्ल्यूसी) मामलों के प्रसंस्करण के कारण सरकार द्वारा नियोक्ता का अंश को सीधे लोक लेखा में जमा करने के कारण हुआ। सरकार ने मुख्य शीर्ष- 8342-117-सीमित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखा में ₹ 1,782.50 करोड़ हस्तांतरित किए।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शेष राशि के विलंबित हस्तांतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) ग्राहकों पर प्रयोज्य ब्याज दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः राज्य सरकार ने नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की गई राशि (वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को ₹ 14.30 करोड़) पर ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज देयता (जीपीएफ पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से परिकलित ब्याज) सृजित की; परिणामस्वरूप, प्रभावित कर्मचारियों को देय लाभों के संबंध

में अनिश्चितता उत्पन्न हुई। यह राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में भी परिणत हुआ, जैसाकि परिच्छेद 1.6 में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-23 की अवधि हेतु कर्मचारी अंश की प्राप्तियों, सरकारी अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज एवं पेंशन निधि में निवेश तालिका 2.21 में दिया गया है।

तालिका 2.21: सीमित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत हुए अंशदान व निवेश का विवरण
(अवधि 2012-13 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति				संवितरण	अल्प हस्तांतरण(-)/ अधिक हस्तांतरण(+)
	कर्मचारी अंश	सरकारी अंशदान	ब्याज	कुल	(पेंशन निधि में हस्तांतरित)	
1.	2.	3.	4.	5. (2+3+4)	6.	7.=6-5
2010-11	65.48	65.48	कर्मचारी व नियोक्ता का योगदान सीआरए-नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा निवेश किया जाता है एवं निवेश में कोई ब्याज घटक नहीं है क्योंकि निवेश पर एनएवी है।	130.96	130.96	--
2011-12	66.06	66.06		132.12	132.12	--
2012-13	160.47	160.47		320.94	320.94	--
2013-14	154.51	154.51		309.02	309.02	--
2014-15	180.20	180.20		360.40	360.40	--
2015-16	195.69	195.69		391.38	391.38	--
2016-17	226.66	226.66		453.32	453.32	--
2017-18	264.81	264.85		529.66	529.66	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहकों के पीआरएएन में पिछली राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 4,04,310 के सरकारी अंशदान का भुगतान किया गया।
2018-19	303.00	303.00	606.00	606.00	--	
2019-20	348.72	471.30	820.02	820.02	--	
2020-21	395.86	552.00	947.86	947.86	--	
2021-22	470.26	655.99	1,126.25	1,126.25	--	
2022-23	746.10	1,033.09	1,779.19	1,779.19	--	
योग	3,577.82	4,329.30		7,907.12	7,907.12	--

स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

वर्ष 2010-23 की अवधि के दौरान ₹ 7,907.12 करोड़ की कुल प्राप्तियों (कर्मचारी अंश: ₹ 3,577.82 करोड़, राज्य सरकार का अंशदान: ₹ 4,329.30 करोड़) के प्रति सम्पूर्ण राशि पेंशन निधि में स्थानांतरित कर दी गई।

हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन (पीईएन) ए (3) 1/ 2023, दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से दिनांक 01.04.2023 से सीमित अंशदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वापस लेने एवं पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने का निर्णय लिया, जो एक निश्चित लाभ प्रदान करता है।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के संघटक, जिसमें स्थानीय निकायों को दिए गए सांविधिक हस्तांतरण एवं आरक्षित निधि में अंशदान शामिल हैं, उनमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 2.45 प्रतिशत से बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 2,019.65 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 1,606.73 करोड़) की तुलना में 25.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.1.3 सब्सिडी

तालिका 2.22 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर व्यय को दर्शाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में विगत वर्ष से ₹ 785.33 करोड़ (66.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं को दी जाने वाली ₹ 624.04 करोड़ की सब्सिडी बढ़ने के कारण हुई।

तालिका 2.22: 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32
विद्युत पर सब्सिडी (₹ करोड़ में)	573.88	400.00	520.45	419.99	1,044.03
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.14	3.47	3.71	3.18	5.18
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.36	3.47	3.70	3.28	4.44
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.72	2.94	3.17	2.79	3.90
राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*	*	1,283.50	*	31.15
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में विद्युत सब्सिडी	44.74	37.46	41.95	35.35	52.91

स्रोत: वित्त लेखे

* राज्य के पास राजस्व अधिशेष होने के कारण गणना नहीं की गई।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान विद्युत सब्सिडी 35.35 प्रतिशत से 52.91 प्रतिशत के मध्य रही जो कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे में कुल सब्सिडी का योगदान 31.15 प्रतिशत रहा।

2.4.1.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदत्त सहायता तालिका 2.23 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.23: स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	487.99	456.22	814.58	800.71	903.04
पंचायती राज संस्थाएं	1,026.07	1,053.39	1,176.07	1,148.28	1,753.44
कुल (क)	1,514.06	1,509.61	1,990.65	1,948.99	2,656.48

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	951.22	1,020.83	944.59	1,031.74	1,157.21
विकास प्राधिकरण	143.68	99.16	238.37	331.69	330.42
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	337.38	439.71	458.23	673.60	671.32
अन्य संस्थान	687.61	437.17	931.27	994.78	1031.51
कुल (ख)	2,119.89	1,996.87	2,572.46	3,031.81	3,190.46
कुल (क+ख)	3,633.95	3,506.48	4,563.11	4,980.80	5,846.94
वेतन पर सहायता-अनुदान	1,203.69	1,324.53	1,507.74	1,687.79	1,736.31
पूंजीगत संपत्तियों के सृजन पर सहायता-अनुदान	834.23	844.73	1,039.73	833.26	1,376.62
अवैतनिक पर सहायता-अनुदान	1,596.04	1,337.25	2,015.70	2,459.75	2,734.01
दिया गया सहायता-अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	12.34	11.41	13.61	13.76	13.16

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष से ₹ 866.14 करोड़ (17.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता (₹ 605.16 करोड़: 52.70 प्रतिशत), शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि) (₹ 125.47 करोड़: 12.16 प्रतिशत), नगर निगम व नगर पालिका (₹ 102.33 करोड़: 12.78 प्रतिशत), आदि में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के सृजन, वेतन व अवैतनिक उद्देश्यार्थ दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। आगे यह पाया गया कि विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत संपत्तियों, वेतन व अवैतनिक घटकों के सृजन में दी गई सहायता में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई (अवैतनिक के तहत वर्ष 2019-20 एवं पूंजीगत संपत्ति के तहत वर्ष 2021-22 को छोड़कर)। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के सृजनार्थ दिया गया सहायता-अनुदान (₹ 543.36 करोड़: 65.21 प्रतिशत) बढ़ गया। साथ ही वर्ष 2018-23 के दौरान मिली वित्तीय सहायता की औसत वृद्धि दर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ सबसे अधिक (25.14 प्रतिशत), इसके बाद अवैतनिक (18.74 प्रतिशत) व वेतन (7.59 प्रतिशत) थी।

वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता तालिका 2.24 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता

(₹ करोड़ में)


प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
निदेशक, ग्रामीण रोजगार	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	515.23
प्रबंध निदेशक, सड़क परिवहन	परिवहन सेवाओं को सहायता	336.29
निदेशक, फसल पालन	उद्यानिकी विकास परियोजना	248.97

प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
निदेशक, परिवार कल्याण	प्रमुख शीर्ष 2211 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु प्रावधान	238.77
	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	167.20
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिमला	समग्र शिक्षा अभियान	231.96
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिमला	समग्र शिक्षा अभियान	220.21
	स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला	201.00
	राज्य हेतु शिक्षण-अधिगम एवं परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार प्रोजेक्ट)	194.58
निदेशक, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थान)	5वें राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को अनुदान	193.40
	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को निष्पादन अनुदान	190.18
परियोजना निदेशक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	168.16
प्रबंध निदेशक, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	166.29

2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी संपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। केंद्र व राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय की पूर्ति बजटीय सहायता एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर संसाधनों से की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-23 में राज्य के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2018-23 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट 2.14 दर्शाता है कि विगत पांच वर्ष की अवधि में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव आया। यह वर्ष 2018-19 के ₹ 4,583.41 करोड़ से ₹ 1,445.48 करोड़ (31.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,028.89 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान पूंजीगत व्यय लगभग स्थिर रहा। गत पांच वर्ष की अवधि (2018-23) में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ ₹ 4,928.57 करोड़ (जैसाकि तालिका 2.23 में दिया गया है) का सहायता-अनुदान भी दिया।

2.4.2.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में हुए महत्वपूर्ण विचलन तालिका 2.25 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.25: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
4210-चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	293.80	551.64	257.83
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	61.48	139.46	77.99
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	122.73	198.28	75.55
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	488.72	411.24	-77.48
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	330.52	247.18	-83.34
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	274.33	185.78	-88.56
4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	1011.89	812.04	-199.85

पूंजीगत व्यय लगभग स्थिर अर्थात् वर्ष 2022-23 (₹ 6,028.89 करोड़) की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹ 6,029.38 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹199.85 करोड़); लोक निर्माण (₹88.56 करोड़); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹ 83.34 करोड़) पर हुई तथा गिरावट चिकित्सा व जन स्वास्थ्य (₹257.83 करोड़) एवं शहरी विकास (₹77.99 करोड़) इत्यादि पर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि से समायोजित हुई।

2.4.2.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह प्रभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) कंपनियों, निगमों व अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

घाटे में चल रही एवं पूर्ण समाप्त नेटवर्थ वाली कंपनियों तथा निगमों में दिए गए निवेश व दिए गए ऋण पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूंजी में निवेश पर प्रतिफल एवं विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों की अदायगी का वृत्तांत पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं।

नवीनतम वित्तीय लेखाओं के अनुसार वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर में 27 कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 5,242.51 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) ₹ 3,881.93 करोड़ (74.05 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.3) था।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् एक निष्क्रिय व एक परिसमापनाधीन को छोड़कर), जिनमें राज्य सरकार के ₹ 3,779.16 करोड़ निदेशित थे, का सकल संचित घाटा ₹ 4,901.51 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) था।

राज्य के उपरोक्त 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो कर ऋणात्मक हो गया था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ ₹ 2,066.95 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष ₹ (-)1,867.35 करोड़ था। राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से दो में 31 मार्च 2023 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,072.19 करोड़ था (परिशिष्ट 2.4)।

(ii) निवेश एवं प्रतिफल

कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों व सोसायटियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति, सरकारी उधार की लागत एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: निवेश एवं निवेश पर प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,848.83	4,261.06	4,562.40	4,913.00	5,333.57
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	181.91	248.44	245.43	166.53	180.90
प्रतिफल (प्रतिशत)	4.73	5.83	5.38	3.39	3.39
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.32	7.98	7.59	7.51	6.74
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.59	2.15	2.21	4.12	3.35
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में) #	138.31	91.59	100.86	202.42	178.58

स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष की समाप्ति पर निवेश x ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 180.90 करोड़ (3.39 प्रतिशत) था। वर्ष 2018-23 के दौरान इन निवेशों का प्रतिफल 3.39 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसकी उधारी पर चुकाए गए ब्याज की औसत दर 6.74 प्रतिशत से 8.32 प्रतिशत के मध्य थी। 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 5,333.57 करोड़ के निवेश में से ₹ 4,617.53 करोड़ (86.58 प्रतिशत) का निवेश पांच² कंपनियों में था। वर्ष 2022-23 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम ने कुल निवेश के 90 प्रतिशत (₹ 163.50 करोड़) से अधिक का अंशदान किया। विगत पांच वर्षों में सरकारी उधार की लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए निवेश के प्रतिफल के मध्य ₹ 702.93 करोड़ का अंतर था।

² सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 422.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (₹ 1,003.21 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 869.64 करोड़) और हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,224.07 करोड़)।

(iii) सरकारी निवेशों का कंपनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश के आंकड़े राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों से मिलने चाहिए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं तथा राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखाओं की संवीक्षा से उजागर हुआ कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में किया गया सरकारी निवेश वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 4,047.26 करोड़ था जबकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अभिलेखों में यह ₹ 3,881.04 करोड़ था। इनमें ₹ 166.22 करोड़ का अंतर पाया गया (परिशिष्ट 2.5)।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रास्थिति एवं विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसके उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियां तालिका 2.27 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 2.27: 2018-23 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण का अंश शेष*	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	21.83	21.03	23.02	40.73	82.79
बकाया ऋण का अंत शेष*	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83	8,052.61
निवल योग	446.15	437.17	297.09	337.24	27.78
प्राप्त ब्याज	272.15	135.11	248.98	97.72	15.44
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर (प्रतिशत)	4.18	1.94	3.37	1.24	0.19
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.88	7.80	7.19	6.91	6.99
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.70	5.86	3.82	5.64	6.80

स्त्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 के बाद से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अंश व अंत शेष में शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष के ₹ 377.97 करोड़ के सापेक्ष ₹ 110.57 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई। ₹ 98.54 करोड़ (98.12 प्रतिशत) के ऋण का बड़ा भाग केवल विद्युत क्षेत्र को दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र पर ₹ 764.48 करोड़ का ऋण बकाया था। विगत 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अधीन अन्य उपक्रमों ने पूर्ववर्ती ऋणों

की चुकौती नहीं की। फिर भी पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना विद्युत क्षेत्र को लगातार ऋण दिए जा रहे हैं।

वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान गत पांच वर्षों में हुई ₹ 82.79 करोड़ की सबसे बड़ी वसूली मुख्य रूप से सहकारी समितियों (सहकारिता विभाग) द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 76.25 करोड़) के कारण हुई।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा राज्य को लंबे समय तक अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं की चुकौती के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2022-23 तक पूर्ण की जाने वाली अपूर्ण परियोजनाओं का आयु-वार एवं विभाग-वार विवरण क्रमशः तालिका 2.28 व 2.29 में दर्शाया गया है।

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)
2015 तक	28	780.05	700.73
2016	07	160.11	142.45
2017	09	94.92	46.97
2018	09	55.89	40.97
2019	01	5.44	2.69
2021	02	22.63	1.41
2022	04	34.18	13.28
2023	07	122.34	5.34
योग	67	1,275.56	953.85

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	39	917.19	815.64
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	28	358.37	138.21
योग	67	1,275.56	953.85

स्रोत: वित्त लेखे

67 अपूर्ण परियोजनाओं में हुए ₹ 953.85 करोड़ के व्यय का अभी भी अभीष्ट लाभ अब तक नहीं लिया जा सका। 67 अपूर्ण परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें 31.03.2023 तक ₹ 700.73 करोड़ का व्यय हुआ है तथा वे वर्ष 2015 से पहले की हैं।

परियोजनाएं पूरी करने में हुआ विलम्ब न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अपितु राज्य को अभीष्ट लाभ और आर्थिक विकास से वंचित भी करता है।

2.4.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी जनता की बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई एवं किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (पूर्ण, प्रक्रियाधीन व योजनाबद्ध) के विवरण परिच्छेद 2.6 में तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के क्षेत्र-वार विवरण तालिका 2.30 में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*
1.	शहरी अवसंरचना	7	124.00	9	383.00	4	--
2.	ऊर्जा	33	141.01	13	50.72	49	53.13
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	3	177.00	6	680.00	2	--
5.	अन्य	0	0	2	13.00	2	--
योग		47	557.01	30	1,126.72	57	53.13

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

* जिन परियोजनाओं की लागत ज्ञात नहीं है, उन्हें अनुमानित लागत में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.3 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.31 वर्ष 2018-19 को आधार वर्ष लेते हुए वर्ष 2022-23 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.31: 2018-19 एवं 2022-23 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2018-19)	27.30	16.11	17.70	6.48
हिमाचल प्रदेश (2018-19)	23.25	14.64	17.48	6.49
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2022-23)	27.24	15.52	15.77	6.95
हिमाचल प्रदेश (2022-23)	25.88	12.14	17.66	7.34

टिप्पणी: पूंजीगत व्यय में ऋण व संवितरित अग्रिम शामिल है।


तालिका 2.31 दर्शाती है कि :

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2018-19 के 23.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 25.88 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों (2018-19) हेतु यह लगभग स्थिर रहा।
- पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जिससे उच्च विकास के अवसर पैदा होते हैं। वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के 13.29 प्रतिशत से घटकर 11.92 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु यह अनुपात 16.11 प्रतिशत से घटकर 15.52 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कुल व्यय में शिक्षा का अनुपात वर्ष 2018-19 के 17.48 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 17.66 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु यह अनुपात 17.70 प्रतिशत से 15.77 प्रतिशत घट गया।
- वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कुल व्यय में स्वास्थ्य का अनुपात वर्ष 2018-19 के 6.49 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 7.34 प्रतिशत हो गया एवं इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के मामले में भी यह 6.48 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गया।

2.4.4. वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 हेतु वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। इनके संदर्भ में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा का घटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिया गया है तथा लोक लेखा की शेष राशि के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष


(₹ करोड़ में)

प्रभाग	उप प्रभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
I.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
	कुल (I)	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
J.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	316.60	834.66	834.66	316.00	270.44
	कुल (J)	317.60	2,722.31	2,717.20	1,973.90	1,934.71
K.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-1.41	-1.64	7.66	14.30	17.39
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.87	3,591.61
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
	कुल (K)	3,206.58	3,380.30	3,461.65	3,426.66	3,608.49
L.- उचंत एवं विविध	(क) उचंत	74.12	-1,330.44	-1,539.83	-292.98	224.94
	(ख) अन्य लेखे	-101.91	-982.25	-1,696.28	-2,568.27	-3,645.37
	(ग) विदेशी सरकारों के लेखे	--	--	--	--	--
	घ) विविध	--	--	--	--	--
	कुल (L)	-27.79	-2,312.69	-3,236.11	-2,861.25	-3,420.43
M.- प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	509.19	612.45	546.02	653.51	494.02
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	0.31	-6.16	-4.11	-0.01	-0.06
	कुल (M)	509.50	606.29	541.91	653.50	493.96
सकल योग		18,355.42	19,933.34	20,007.29	20,199.09	20,298.98

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संघटन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं। यह सब्याज आरक्षित निधियों एवं ब्याज रहित आरक्षित निधियों से मिलकर बनती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की विवरणी 21 व 22 में उपलब्ध है। 31 मार्च 2023 तक तीन सब्याज आरक्षित निधियां एवं चार ब्याज रहित आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2023 तक इन आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि तालिका 2.33 में दी गई है।

तालिका 2.33: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2023 तक बकाया शेष
क	सब्याज आरक्षित निधियां	1,664.27
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	55.55
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,566.68
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	42.04
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	270.44
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	254.32
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	15.97
4	उपभोक्ता कल्याण	--*
	सकल योग	1,934.71

स्त्रोत: वित्त लेखे

* मात्र ₹ 0.07 लाख

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक 31 मार्च 2022 तक की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित था। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 73,534.80 करोड़ थीं। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार को निधि में न्यूनतम ₹ 367.67 करोड़ (₹ 73,534.80 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) राशि का अंशदान अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित नहीं की।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में अंशदान कर रही थीं। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया गया।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 49.79 करोड़ की राशि थी। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 380.80 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 342.40 करोड़, राज्यांश: ₹ 38.40 करोड़) हस्तांतरित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 430.59 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 375.04 करोड़ संवितरित/उपयोग किए गए तथा वर्ष की समाप्ति में ₹ 55.55 करोड़ शेष रहे। 31 मार्च 2023

तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 55.55 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि अनिवेशित रही, जो भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी।

31 मार्च 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की ₹ 49.79 करोड़ की शेष राशि का भी राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 3.73 करोड़ (वर्ष 2022-23 के दौरान अधिविकर्ष की औसत दर को ध्यान में रखते हुए 7.49 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना) का ब्याज अर्जित होता, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति होती। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है।

तालिका 2.34: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

		(₹ करोड़ में)
मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101- मुफ्त राहत	20.76
	102- पेयजल आपूर्ति	3.00
	104- चारे की आपूर्ति	0.25
	106- क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	209.96
	109- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	143.74
	111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	72.41
	113- आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	10.97
	114- कृषि आदानों की खरीद हेतु किसानों को सहायता	1.00
	193- स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	61.97
		कुल
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	-573.66
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय		552.90

स्त्रोत: वित्त लेखे

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार केवल 2245-02-101 के तहत बुक की गई राशि ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय करने हेतु स्वीकार्य है। अतएव राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिले ₹ 573.66 करोड़ में से ₹ 552.90 करोड़ का व्यय दिशानिर्देशों के विपरीत था।

2.5.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया जाता है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य

विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (सब्याज प्रभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य व अन्य आरक्षित निधि) के तहत) का सृजन किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ₹ 42.80 करोड़ प्राप्त किए (31 मार्च 2023 को प्राप्त)। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 4.80 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) के अंतर्गत नामित निधि में वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 90.80 करोड़ (केंद्रांश ₹ 81.80 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 9.00 करोड़) हस्तांतरित किए। हालांकि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 47.60 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 42.80 करोड़ एवं राज्यांश: ₹ 4.80 करोड़) की राशि लोक लेखा के तहत निर्दिष्ट निधि/शीर्ष में स्थानांतरित नहीं की। यह राजस्व व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

2.5.2.4 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की (अगस्त 2001) जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा की प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाए गए थे। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बकाया गारंटी राशि ₹ 1,780.64 करोड़ थी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य निकाय द्वारा बकाया होने की स्थिति में राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि के अभाव में अन्य उपलब्ध संसाधनों से व्यय वहन करना होगा, जिससे वित्त पर अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि बकाया गारंटी राज्य की विगत वर्ष (2021-22) की कुल राजस्व प्राप्तियों का पांच प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित गत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के भीतर रही।

2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष

प्रतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्राप्त राशि के प्रबंधन एवं एकत्रित धन के उपयोग

हेतु राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित था। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 0.01 करोड़ (गत वर्ष कोई राशि प्राप्त नहीं हुई) प्राप्त हुई जिसका प्रेषण राष्ट्रीय निधि में किया गया। सरकार को वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से भी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में रखे अव्ययित धन पर ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज सहित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि पर मुख्य शीर्ष 8121 के तहत कुल ₹ 53.87 करोड़ का ब्याज जमा किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹ 1,566.68 करोड़ था।

2.5.2.6 केन्द्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि

भारत सरकार की दिनांक 31.03.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि कर दिया गया। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य व ग्रामीण सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं इत्यादि हेतु किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया की शर्तानुसार केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को आरम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाए। तदोपरांत राज्य सरकार इस प्रकार प्राप्त राशि मुख्य शीर्ष 8449-103- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि अनुदान के तहत लोक लेखा में हस्तांतरित करती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि में ₹ 169.05 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। राज्य सरकार द्वारा "केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि अनुदान" सृजित नहीं करने के कारण कार्यात्मक मुख्य शीर्षों से निर्दिष्ट निधि में अब तक कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गई।

2.5.3 उंचत एवं विविध

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की बहियों में ₹ 0.20 करोड़ राशि (पूँजीगत व्यय: ₹ 0.20 करोड़) उंचत लेखा में रखी गई क्योंकि बजट में योजना को अधिसूचित किए बिना व्यय किया गया। अतः उक्त राशि को वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे में पूँजीगत व्यय एवं विनियोजन लेखे में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया।


इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तु उंचत में दर्ज गत वर्ष की ₹ 448.61 करोड़ राशि (2019-20 के ₹ 157.51 करोड़, 2020-21 के ₹ 212.64 करोड़ व 2021-22 के ₹ 78.46 करोड़) को मंजूरी दी दे गई एवं सम्बंधित लेखा शीर्षों (राजस्व व्यय: ₹ 268.69 करोड़ व पूँजीगत व्यय: ₹ 179.92 करोड़) में तहत दर्ज किया गया। इस प्रकार वर्ष 2022-23 के

बजट प्रावधानों के प्रति वित्त लेखाओं में राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय तथा विनियोजन लेखाओं में वास्तविक व्यय की इस सीमा तक अत्योक्ति हुई।

2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट 2.17 में नीचे दी गई है:



* कुल बकाया ऋण/देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।

2.6.1 देयता रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयता राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनती हैं। वर्ष 2022-23 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां तालिका 2.35 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.35: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय देयता के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	31 मार्च 2023 तक समग्र बकाया देयता* (1+2)	54,299.19	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21
1.	लोक ऋण					
	(क) आंतरिक ऋण	35,363.18	39,527.77	42,918.21	44,376.03	55,975.16
	(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,061.77	1,043.81	1,544.54	2,339.19	2,976.09
2.	लोक लेखा देयताएं	17,874.24	21,640.26	22,702.00	22,407.36	23,225.96
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
	सब्याज आरक्षित निधियां	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.60	834.66	834.66	316.00	270.44
	सब्याज निक्षेप	-1.41	-1.63	7.66	14.30	17.39
	ब्याज रहित निक्षेप	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.88	3,591.61
3.	बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.41	14.57	7.96	2.91	18.89
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^अ	1,95,405 ^अ
5.	कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.59	39.09	43.26	39.21	42.05
	उधार एवं अन्य देयताएं (वित्त लेखा की विवरणी 6 के अनुसार)					
6.	कुल लोक लेखा प्राप्तियां	6,427.41	10,847.39	15,032.21	6,639.75	22,371.82
7.	कुल लोक ऋण चुकावियां	4,673.34	6,700.75	11,141.05	4,387.28	10,135.80
8.	उपलब्ध निवल निधियां (6-7)	1,754.07	4,146.64	3,891.16	2,252.47	12,236.02
9.	चुकावियां/ प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/6)	72.71	61.77	74.11	66.08	45.31
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,514.64	3,766.01	1,061.75	-294.64	818.61
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	3,268.71	7,912.65	4,952.91	1,957.83	13,054.63
12.	बजट के सापेक्ष कुल व्यय	42,469	45,528	53,139	50,130	63,463
13.	बजट के प्रतिशत के रूप में चुकावियां	11.00	14.72	20.97	8.75	15.97

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की कुल बकाया देयताएं 51.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के ₹ 54,299.19 करोड़ से ₹ 27,878.02 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 82,177.21 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को 2020-22 में एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर) हो गई। पांच वर्षों की अवधि में (2018-23) राज्य के आंतरिक ऋण (जिसमें मुख्यतः खुले बाजार से लिए गए बकाया दीर्घकालिक ऋण, वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की अनुपालना में राज्य विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड के ऋण चुकाने हेतु जारी बांड जिसमें ₹ 20,611.98 करोड़ (58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; भारत सरकार से ऋण (जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक ऋण शामिल हैं) जिसमें ₹ 1,914.32 करोड़ (180 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; और लोक लेखा देयता (जिसमें मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा आदि शामिल हैं) में ₹ 5,351.72 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ऋण चुकावियां एवं ऋण प्राप्तियां का प्रतिशत 45.31 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण


प्राप्ति का औसतन 64 प्रतिशत उपयोग पुनर्भुगतान के लिए किया गया। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों पर ऋण प्राप्तियों का केवल 36 प्रतिशत (औसत) उपयोग किया, केवल वर्ष 2022-23 को छोड़कर, जब इसका उपयोग राजस्व व्यय के लिए भी किया गया। वर्ष 2018-23 के दौरान बजट प्रावधान से ऋण चुकौती का प्रतिशत 8.75 प्रतिशत से 20.97 प्रतिशत (14.28 प्रतिशत की औसत दर पर) के मध्य था। उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण परिच्छेद 2.7.1 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल देयता विगत वर्ष के 2.91 प्रतिशत की तुलना में 18.89 प्रतिशत बढ़ गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का अनुपात 2018-19 के 36.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 42.05 प्रतिशत हो गया तथा विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 2.84 प्रतिशत (2021-22 में 39.21 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (42.05 प्रतिशत) 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों (33.30 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के उसके बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.49 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पिछली देयताओं की अदायगी हेतु 45.31 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत तक की ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया गया।

वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर बकाया कुल देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)




* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

चार्ट 2.19 पांच वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए ऋण मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (वार्षिक) वर्ष 2018-19 के ₹ 6,360 करोड़ से ₹ 15,272 करोड़ (240.13 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 21,632 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 15,885 करोड़ (276.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार उधार में उल्लेखनीय वृद्धि रही। वर्ष 2022-23 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 3,476.91 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

तालिका 2.36 वर्ष 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाती है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को एक चार्ट (चार्ट 2.20) के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)


विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटे के संघटक	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85	12,379.84
क राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	1,508.21	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76
ख निवल पूंजीगत व्यय	-4,574.59	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37	-6,016.30
ग निवल ऋण व अग्रिम	-446.16	-437.17	-297.10	-337.24	-27.78
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न*					
1 बाजारी उधार	2,108.10	4,460.00	3,755.00	1,874.99	12,230.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	-17.65	-17.95	2,217.73*	3,489.87*	636.90
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-538.25	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	201.86	273.69	204.54	151.92	-61.78
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,113.14	1,187.60	985.51	483.65	675.96
6 निक्षेप एवं अग्रिम	408.91	173.71	81.35	-34.99	181.83
7 उचंत व विविध	1.08	-1,404.92	-209.39	1,246.84	517.94
8 प्रेषण	112.25	96.80	-64.38	111.59	-159.55
9 आरक्षित निधियां	-7.43	2,404.71	-5.11	-743.30	-39.18
10 समग्र घाटा	3,382.01	6,604.54	6,396.15	6,011.47	13,413.02
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	130.53	-1,007.48	-696.06	-766.62	-1,033.18
12 सकल राजकोषीय घाटा	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85	12,379.84

स्त्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

चार्ट 2.20: 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 में ₹ 12,379.84 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा लोक लेखा, जिसमें लघु बचत, इत्यादि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसा कि तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	14,000.00	1,770.00	12,230.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	739.83	102.93	636.90
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	845.15	906.93	-61.78
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,633.27	2,957.31	675.96
6 निक्षेप एवं अग्रिम	5,946.22	5,764.39	181.83
7 उचंत व विविध	1,569.93	1,052.00	517.94
8 प्रेषण	8,178.73	8,338.28	-159.55
9 आरक्षित निधियां	741.45	780.63	-39.18
10 समग्र घाटा	35,654.58	22,241.57	13,413.02
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	2,522.86	3,556.04	-1,033.18
12 सकल राजकोषीय घाटा	38,177.44	25,797.61	12,379.84

स्रोत: वित्त लेखे

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.38 व चार्ट 2.21 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.38: राज्य के लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज [#]	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,480.83	4,340.13	7,820.96	8.75
1-3	8,239.62	7,848.19	16,087.81	18.01
3-5	9,071.31	6,535.89	15,607.20	17.47
5-7	8,988.85	5,157.26	14,146.11	15.83
7-10	14,031.17	5,085.95	19,117.12	21.40
10 से अधिक	13,071.00	3,497.00	16,568.00	18.54
योग	56,882.78*	32,464.42	89,347.20	

स्त्रोत: वित्त लेखे


- * इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, ₹ 1,417.96 करोड़ ₹ 1,333 करोड़ (केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण), ₹ 0.13 करोड़ (1984-85 से पहले के ऋण), ₹ 84.77 करोड़ व ₹ 5.80 लाख (जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है), ₹ 650 करोड़ (पूंजी निवेश के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता) को शामिल नहीं किया गया।
- # 7.63 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों की ब्याज दरों का औसत तालिका 2.39 में दिया गया है)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2023 तक ब्याज सहित ₹ 89,347.20 करोड़ (मूलधन: ₹ 56,882.49 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 32,464.42 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 8.75 प्रतिशत अगले एक वर्ष में देय है; 18.01 प्रतिशत (₹ 16,087.81 करोड़) अगले एक से तीन वर्ष में देय है (2025-26 तक); 17.47 प्रतिशत (₹ 15,607.20 करोड़) अगले तीन से पांच वर्षों (2025-26 तक) में देय है; 15.83 प्रतिशत (₹ 14,146.11 करोड़) अगले पांच से सात वर्षों में (2029-30 तक) देय है; 21.40 प्रतिशत (₹ 19,117.12 करोड़) अगले 10 वर्षों में देय है, जबकि शेष 18.54 फीसदी (₹ 16,568.00 करोड़) का भुगतान 10 वर्ष के बाद करना होगा। 2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 7,903.19 करोड़ होगा जबकि वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,902.66 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम सहित) होगी, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।



आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2032-33 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी (ब्याज सहित) चार्ट 2.22 में दी गई है।

चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2032-33 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी (ब्याज सहित) (₹ करोड़ में)




उपरोक्त चार्ट 2.22 से स्पष्ट है कि वर्ष 2032-33 तक राज्य को औसतन ₹ 7,277.92 करोड़ का लोक ऋण वार्षिक रूप से चुकाना होगा। वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा।

बाजार उधार/ऋण

बकाया बाजार ऋण एवं उस पर आगामी दस वर्षों में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण चार्ट 2.23 में दिया गया है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी



स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2023 तक बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा प्रस्तुत की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने वाले हैं।

राज्य को ब्याज सहित ₹ 74,996 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों (मूलधन: ₹ 46,002 करोड़ व ब्याज: ₹ 28,994 करोड़) में से बाजार ऋण के मूलधन के ₹ 6,422 करोड़ एवं ब्याज के ₹ 9,938 करोड़ की अदायगी अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2025-26 तक करनी होगी। वर्ष 2027-28 तक अगले दो वर्षों में ₹ 6,660 करोड़ मूलधन व ₹ 5,719 करोड़ ब्याज देय होगा। इस प्रकार वर्ष 2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋण चुकौती एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 5,748 करोड़ होगा। ब्याज सहित बाजार ऋणों की वर्तमान वार्षिक चुकौती ₹ 6,718 करोड़ है।

वर्ष 2028-29 से 2032-33 की अवधि के दौरान बाजार ऋण ₹ 18,720 करोड़ एवं ब्याज ₹ 9,501 करोड़ देय होगा। ऐसे में राज्य को उस अवधि के दौरान सालाना लगभग ₹ 5,644 करोड़ चुकाना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

ऋण धारणीयता का विश्लेषण राजकोषीय व ऋण मापदंडों, डोमार दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों हेतु मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

(क) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान एवं भविष्य में अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने की क्षमता से है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.39 व चार्ट 2.24 में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में) (वर्ष के 31 मार्च को)	36,425	40,572	44,463 ^{\$}	46,715 ^{\$}	58,951 ^{\$}
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.06	11.39	9.59	5.07	26.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.55	25.49	28.64	26.50	30.17
पिछला बकाया यदि हो तो उसके सहित राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा	3,181	3,257	3,399	3,147	3,347
लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (चुकाया गया ब्याज/लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.32	7.98	7.59	7.51	6.74
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,958	3,071	3,228	3,422	3,558
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	4,466	3,082	3,131	4,537	-2,777
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	196.14	25,634.31	3,339.11	307.01	56.16
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.56	9.99	9.65	9.17	9.34
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत	72.71	61.77	74.11	66.08	45.31
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	-1,204	1,076	664	-1,170	8,678
लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण	-18.73	9.92	4.41	-17.62	38.79
प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+)	510	-1,363	-1,228	-604	-7,551
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार [@] + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	64.27	-1,653	-5,696	2,212	-5,125

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।

@ मात्रा विस्तार = ऋण स्टॉक × (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर) / 100


ऋण स्थिरता की एक आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक हो जाती है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरने एवं स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक या मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा तथा यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घट जाएगा।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24.55 से 30.17 प्रतिशत था। वर्ष 2018-23 (वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त) के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा वर्ष 2022-23 के दौरान 30.17 प्रतिशत का उच्चतम अनुपात दर्ज हुआ। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू

उत्पाद में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लोक ऋण में 26.19 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण 61.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 36,425 करोड़ से बढ़कर ₹ 58,951 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ अर्थात् 2020-21 के दौरान ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ को छोड़कर) हो गया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का 9.17 से 9.99 प्रतिशत तक था। चार वर्षों (वर्ष 2018-19 से 2021-22) की अवधि में मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु ऋण प्राप्तियां 61.77 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत के मध्य थीं। परन्तु वर्ष 2022-23 में लोक प्राप्तियों का मात्र 45.31 प्रतिशत ही मौजूदा देयताओं की अदायगी के लिए उपयोग किया गया।

- घटता ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। वर्ष 2022-23 में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018-19 के 24.55 प्रतिशत से बढ़कर 30.17 प्रतिशत हो गया, जिसे स्थिरता की ओर अग्रसर नहीं माना जा सकता। हालांकि वर्ष 2021-22 में यह मामूली रूप से घटकर 26.50 प्रतिशत हो गया। साथ ही ऋण धारणीयता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा। तालिका 2.39 मिश्रित

प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है क्योंकि वर्ष 2018-19 व 2021-22 में ऋण धारणीयता धनात्मक थी परन्तु तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2022-23) में यह ऋणात्मक हो गई।

- राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण धारणीयता का एक अच्छा उपाय है। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान यह अनुपात 9.17 प्रतिशत व 9.99 प्रतिशत के मध्य रहा।
- लोक ऋण प्राप्तियों की तुलना में लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उपयोग किए गए ऋण का अनुपात सृजनात्मक के बजाय ऋण अदायगी हेतु उतना ही अधिक होगा। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान लोक ऋण अदायगी की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियां 61.77 व 74.11 प्रतिशत रहा, जिसका अर्थ है कि अधिकांश सार्वजनिक उधारों का उपयोग पिछले उधारों की अदायगी में किया गया जिससे सृजनात्मक कार्यों में उनके उपयोग हेतु कम स्थान बचा।
- वर्तमान वर्ष के दौरान (2022-23) लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का अनुपात 45.31 प्रतिशत तक गिर गया, जिसका अर्थ है लोक ऋण प्राप्तियों का उपयोग पिछले दायित्वों की पूर्ति के अतिरिक्त भी किया गया। **परिच्छेद 2.7.1 (तालिका 2.42)** स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सार्वजनिक उधार, जो विकासात्मक कार्यों, परिसंपत्तियों के सृजन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु हैं, उनका उपयोग राजस्व घाटा घटाने हेतु मौजूदा खपत की पूर्ति करने के लिए किया गया।

(ख) ऋण धारणीयता पर विश्लेषण ई.डी. डोमार³ [डोमार, 1944] के अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमार मॉडल कहता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने का आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक न हो।

ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एवं प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

जी-आर (जी- वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर- वास्तविक ब्याज दर)	अधिशेष<0 (प्राथमिक घाटा)	अधिशेष> 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम एक स्थिर स्तर पर पहुंचना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत को बढ़ावा मिले।
जी-आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति।

³ डोमार मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफाइल, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.40 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.40: डोमर मोडल पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर (डोमर अंतराल)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
2018-19	6.41	9.62	-3.21	+510	जी-आर<0 व अधिशेष>0; अपरिभाषित स्थिति
2019-20	4.10	1.82	2.28	-1,363	चूंकि जी-आर> 0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरित होना चाहिए।
2020-21	-3.00	2.61	-5.61	-1,228	चूंकि जी-आर<0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर अभिसरित हुए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2021-22	7.55	1.19	6.36	-604	चूंकि जी-आर> 0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण
2022-23	6.44	2.78	3.66	-7,551	शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरित होना चाहिए।

टिप्पणी: वास्तविक वृद्धि दर की गणना स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए की जाती है। वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाममात्र ब्याज दर है।

विषय अवधि के प्रारंभिक वर्ष यानी वर्ष 2018-19 में राज्य में प्राथमिक अधिशेष था, जो बाद के विगत चार वर्षों यानी वर्ष 2019-23 में प्राथमिक घाटे में बदल गया। डोमर अंतराल (जी-आर) वर्ष 2019-20, 2021-22 व 2022-23 के दौरान धनात्मक रहा और कोविड वर्ष 2018-19 व 2020-21 के दौरान यह ऋणात्मक था। जबकि कोविड के बाद के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि के कारण डोमर अंतर धनात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण धनात्मक डोमर अंतर को कोविड के दौरान तुलना हेतु कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हालांकि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा तेजी से बढ़ा है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-23 से जी-आर> 0 के रूप में व्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.41 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.41: बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति

राजकोषीय मापदंड		बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	राजस्व अधिशेष बनाए रखा				
	प्राप्ति	1.02	0.01	-0.06	0.63	-3.24
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	3% या कम				6% या कम
	प्राप्ति	-2.37	-3.52	-3.67	-2.98	-6.34
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात [@] (प्रतिशत में) ^{\$}	लक्ष्य	35.00	34.04	33.62	40.26	40.49
	प्राप्ति	36.59	39.09	43.26*	39.21*	42.05*
गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
	प्राप्ति	15.75	6.29	6.97	5.64	4.77

[@] कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.2 करोड़) को छोड़ कर, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

\$ सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए (2011 के बाद 2023 तक, जब संशोधन किए गए)।

वर्ष 2018-19 का 1.02 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष 2019-20 में घटकर 0.01 प्रतिशत हो गया एवं वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा (-0.06 प्रतिशत) हो गया, जो वर्ष 2021-22 में पुनः राजस्व अधिशेष (0.63 प्रतिशत) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे (-3.24 प्रतिशत) में बदल गया। वर्ष 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2.37 प्रतिशत से बढ़कर 6.34 प्रतिशत तथा बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 36.59 प्रतिशत से बढ़कर 42.05 प्रतिशत हो गया। यद्यपि वर्ष 2018-19 व 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा तथापि सरकार वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसी भांति वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त वर्ष 2018-23 के दौरान बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की निर्धारित सीमा से अधिक था। हालांकि वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर रही।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के प्रति राजस्व व्यय में ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की वृद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 6,336 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। इसका मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने से हुए वेतन संशोधन के कारण वेतन एवं पेंशन में वृद्धि थी। वेतन पर व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 11,990 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23

में ₹ 15,569 करोड़ हो गया। इसी भांति पेंशन पर व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,284 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018-19 के 65 प्रतिशत से बढ़ कर 79 प्रतिशत हो गया, जिससे ऋण भुगतान सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की सीमित उपलब्धता दिखाई देती है (तालिका 2.20)।

राजकोषीय संकेतकों की लगातार अवहेलना से राजकोषीय स्थिति अनियंत्रित होने का जोखिम हो सकता है, विशेष रूप से तब, जब राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि, अंतर्निहित सब्सिडी का भुगतान इत्यादि जैसी अनिवार्य आरक्षित निधियों में अंशदान करना शेष है।

राजकोषीय स्थिरता के विश्लेषण (तालिका 2.39) और डोमर मॉडल विश्लेषण (तालिका 2.40) के आधार पर यह अनुमानित है कि जब तक कि व्यय को पुनर्गठित करने, भविष्यगामी स्रोतों का पता लगाने, राजस्व आधार का विस्तार करने एवं राजस्व सृजित करने वाली संपत्तियों में निवेश हेतु उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते, तब तक राज्य की राजकोषीय धारणीयता अल्प से मध्यम अवधि हेतु खतरे में है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सर्जन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.42 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.42: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल उधार	6,427.40	10,847.39	15,032.21 ^{\$}	6,639.75 ^{\$}	22,371.82
2	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)	10,135.80 (45.31)
3	निवल पूंजीगत व्यय*	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)	6,016.30 (26.89)
4	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	--	--	--	--	110.57 (0.49)
5	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग {1-(2+3+4)}	--	--	--	--	6,109.16 (27.31)
6	राज्य का कुल बजट	46,984	53,708	61,597	55,715	67,733
7	कुल बजट के प्रति व्यय	42,469	45,528	53,139	50,130	63,463
8	कुल व्यय के प्रति उधारों की अदायगी (प्रतिशत)	11.00	14.72	20.97	8.75	15.97

^{\$} वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

तालिका 2.42 दर्शाती है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में उधार अदायगी (मूलधन) नौ प्रतिशत से 21 प्रतिशत के मध्य रही। विगत चार वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2021-22 में मुख्यतः पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु 45 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक उधार ली गई निधियों का उपयोग किया गया। परन्तु विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पिछली देयताओं की चुकौती 66 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय 34 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया।


वित्तायोग के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा कम करके अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 तक ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 में, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि का दूसरा वर्ष है, सार्वजनिक उधार के बड़े भाग अर्थात् 27 प्रतिशत (₹ 6,109.16 करोड़) का उपयोग उनके मौजूदा व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार राजस्व अधिशेष बनाए नहीं रख सकी तथा उसने अपने राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु उधार लिया।

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति चार्ट 2.25 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार को राजस्व घाटा घटाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उधार ली गई निधियों का उपयोग विकास गतिविधियों एवं ठोस संपत्तियों के निर्माण में किया जा सके।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधारकर्ताओं की दी गई गारंटियों के बकाया होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखाओं के विवरणी-9 व 20 के अनुसार राज्य द्वारा दी गई अधिकतम राशि की गारंटी एवं पिछले पांच वर्षों में बकाया गारंटी तालिका 2.43 में दी गई है। 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं/निकायों का विवरण चार्ट 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.43: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गारंटियों की बकाया राशि	4,309.21	1,947.07	2,141.76	1,884.61	1,780.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	74.28	639.70	418.03	289.46	643.61
वर्ष के दौरान विलोपन	158.72	3,001.84*	165.60	283.09	747.58
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	गत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	15.75	6.29	6.97	5.64	4.77

* इसमें वर्ष 2019-20 के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में शामिल कर दी गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त खातों के विवरण संख्या 20 में इसे दर्शाया गया है।


चार्ट 2.26: 31 मार्च 2023 के अंत में गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय (₹ करोड़ में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड (विद्युत)

सहकारी बैंक

स्थानीय निकाय

अन्य संस्थान



वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी राशि की गारंटी का आह्वान नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 तक वित्त लेखाओं के अनुसार गारंटी की बकाया राशि ₹ 1,780.64 करोड़ थी। यद्यपि ध्यान दें कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे चालू नहीं थे साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व राज्य सरकार ने आंकड़ों के भिन्नता का मिलान नहीं किया। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 643.61 करोड़ की राशि राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न निकायों को दी गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 276.96 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 198.16 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (₹ 100.03 करोड़) रहे। वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 1,780.64 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का पांच प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एव बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 एवं सरकारी निर्देशों (6 मार्च 1992) के अनुसार गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ताओं से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) व प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) लगाया जाना है। राज्य सरकार के पास निकायों/संस्थाओं से देय गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की प्राप्त होने योग्य राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक) राज्य सरकार ने कोई गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त/उद्ग्रहित नहीं किया। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 0.72 लाख (2019-20 में), ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में), ₹ 3.00 करोड़ (2021-22 में) एवं ₹ 3.31 करोड़ राशि गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में प्राप्त हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 7.73 करोड़ (गारंटी शुल्क: ₹ 6.44 करोड़ + प्रतिबद्धता प्रभार: ₹ 1.29 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3.31 करोड़ प्राप्त हुए, जो ₹ 4.42 करोड़ की अल्प प्राप्ति में परिणत हुए।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ₹ 880 करोड़ और 1 अप्रैल 2022 से ₹ 656 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार 295 दिनों तक न्यूनतम दैनिक नकदी शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 51 मौकों पर कुल ₹ 4,042.99 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 19 मौकों पर ₹ 2,743.85 करोड़ का अधिविकर्ष लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष 2022-23 के अंत तक कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। इनके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 4.66 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अदा की गई। तालिका 2.44 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.44: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष	31 मार्च 2023 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-45.41	-89.33	-43.92
कुल	-45.41	-89.33	-43.92

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष	31 मार्च 2023 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
नकद शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	2,568.08	3,645.18	1,077.10
योग (क)	2,522.67	3,555.85	1,033.18
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम निर्धारित निधियों का निवेश	0.03	0.03	0
योग (ख)	0.19	0.19	0
योग (क+ख)	2,522.86	3,556.04	1,033.18

वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2021-22 के ₹ 2,522.86 करोड़ से ₹ 1,033.18 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,556.04 करोड़ हो गया। नकद शेष से किया गया निवेश भी ₹ 2,568.08 करोड़ से ₹ 3,645.18 करोड़ तक बढ़ गया।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका 2.45 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.45: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50
2022-23	2,568.08	3,645.18	1,077.10	20.91


स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि विगत वर्षों की तुलना में नकद शेष निवेश लेखा के शेष में वृद्धि हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।


चार्ट 2.27 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष



चार्ट 2.28, 2022-23 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2022-23 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने नकदी शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लिया। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 12,230 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 प्रमुख विशेषताएं

घाटा संकेतक, राजस्व आवर्धन एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड हैं। विगत वर्ष अर्थात् 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के वित्त के प्रमुख मापदंड तालिका 2.46 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 2.46: मुख्य मानदण्ड

सकारात्मक संकेतक	वे मापदंड जिस पर कठोरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है
↑ स्व कर-भिन्न राजस्व में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि	↑ राजस्व व्यय में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि
↑ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 103.32 प्रतिशत की वृद्धि	↑ ऋण प्राप्तियों में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि
	↑ पिछले दायित्वों की अदायगी एवं राज्य सरकार के मौजूदा खर्चों की पूर्ति करने या राजस्व घटाने हेतु ऋण प्राप्तियों का उपयोग।
	↑ नकद शेष में 40.95 प्रतिशत की वृद्धि
	↑ राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व बकाया ऋण देयताओं में वृद्धि

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2018-19 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,508 करोड़) वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 12 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे (₹ 97 करोड़) में बदल गया, जो वर्ष 2021-22 में राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) में तथा वर्ष 2022-23 के दौरान पुनः राजस्व घाटे (₹ 6,336 करोड़) में बदल गया।

राजस्व व्यय में सब्सिडी तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत रही। कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का 35 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक का बड़ा भाग रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे में सब्सिडी का योगदान 31 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 12,379 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़ गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष की तुलना में राज्य के स्व-राजस्व में 9.07 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने कुल राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत वेतन व मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर व्यय किया, जिससे प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय हेतु केवल 33 प्रतिशत ही शेष रहा।

राज्य वित्त लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों के लेखाओं के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 166.22 करोड़ का अंतर पाया गया।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारी समितियों में उसके कुल निवेश (₹ 5,333.57 करोड़) पर 3.39 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने बकाया ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 15 करोड़ (0.04 प्रतिशत) प्राप्त किए जबकि उसने बकाया ऋण पर 7.17 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.05 प्रतिशत रही। विगत वर्ष की तुलना में कुल देयताओं में 18.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत उपलब्ध ₹ 55.55 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

31 मार्च 2023 तक पूर्ण होने को निर्धारित 67 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए ₹ 953.85 करोड़ के व्यय से अभी तक अभीष्ट लाभ नहीं मिला।

2.10 सिफारिशें

1. राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
2. राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी बैंकों व समितियों पर किए निवेश के अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करने एवं उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करें;
3. राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें;
4. राज्य सरकार उधार पर निर्भरता कम करने के लिए उसके संसाधन बढ़ाएं।